

भारत सरकार
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 170

उत्तर देने की तारीख 11 फरवरी, 2026 (बुधवार)

22 माघ, 1947 (शक)

प्रश्न

असम में परियोजनाओं और योजनाओं की स्थिति

†*170. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) द्वारा असम में वित्तपोषित की जा रही उन परियोजनाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है जिनमें विलंब हो रहा है, जिन्हें रद्द कर दिया गया है तथा जिन्हें पूरा होने से पहले ही बंद कर दिया गया है और ऐसी प्रत्येक परियोजना से संबंधित कारण क्या हैं;
- (ख) बेहतर संपर्क और आजीविका सुनिश्चित करने के लिए बाढ़ प्रवण और पहाड़ी क्षेत्रों में अवसंरचना की कमी को किस प्रकार दूर किया जा रहा है और इनका ब्यौरा क्या है;
- (ग) उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन), उत्तर-पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) और उत्तर-पूर्व परिषद (एनईसी) के अंतर्गत असम में खर्च नहीं की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (घ) उन कारणों का ब्यौरा क्या है जिनकी वजह से असम बुनियादी संपर्क और अंतिम छोर तक अवसंरचना के मामले में राष्ट्रीय औसत से पिछड़ रहा है; और
- (ङ) उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं को प्रत्यक्ष रोजगार, आजीविका और समय पर सृजित अवसंरचना में परिवर्तित करने के लिए शुरू किए गए ठोस सुधारों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“असम में परियोजनाओं और योजनाओं की स्थिति” विषय पर लोक सभा में दिनांक 11 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए तारांकित प्रश्न संख्या *170 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) पूर्वोत्तर राज्यों को प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल (पीएम-डिवाइन), उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास स्कीम- सड़क अवसंरचना के अलावा (एनईएसआईडीएस-ओटीआरआई), उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास स्कीम- सड़कें (एनईएसआईडीएस-सड़कें), उत्तर पूर्वी परिषद की स्कीमें (एसओएनईसी) और विशेष विकास पैकेज की पांच केंद्रीय क्षेत्र स्कीमों के तहत विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। दिनांक 31.01.2026 तक, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के तहत असम राज्य के लिए शुरू से अब तक कुल 826 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 657 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। शेष 169 परियोजनाओं में से कुल 127 परियोजनाएं विलंबित हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की स्कीमों के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन का समय भौगोलिक अवस्थिति, इलाका, भूमि की उपलब्धता, अनिवार्य कानूनी मंजूरियां, रुकावटों को हटाना, वित्तीय बंदी आदि जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है।

(ख) असम राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, असम के बाढ़ संभावित और पहाड़ी क्षेत्रों में अवसंरचना की कमी को हर-मौसम में आवागमन वाली सड़कों और मज़बूत पुलों को बनाकर और उनका अपग्रेडेशन करके दूर किया जाता है, ताकि वर्ष भर कनेक्टिविटी बनी रहे। इसके अलावा, बाढ़ और पानी भरा रहने से होने वाली दिक्कतों को कम करने के लिए सड़कों का लेवल बढ़ाया जा रहा है और बेहतर ड्रेनेज तथा क्रॉस-ड्रेनेज ढांचे बनाए जा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में, भूस्खलन और सड़कें बंद होने से बचाने के लिए स्लोप स्टेबिलाइजेशन, ढांचे को बनाए रखने और बेहतर हिल रोड इंजीनियरिंग अपनाई जा रही है। इसके अतिरिक्त, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय अपनी स्कीमों के तहत सड़कों/पुलों की परियोजनाओं को मंजूरी देते समय यह सुनिश्चित करता है कि मंजूरी की गई परियोजनाएं नवीनतम विनिर्देशनों और अन्य कोडल प्रावधानों के अनुसार हों।

(ग) दिनांक 04.02.2026 तक, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत असम राज्य के लिए जारी धनराशि तथा केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) खाते में पड़ी अप्रयुक्त राशि का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	स्कीम	जारी निधि (करोड़ रु. में)	सीएनए में अप्रयुक्त राशि (करोड़ रु. में)
1	पीएम- डिवाइन	547.20	100.77
2	नेसिड्स -ओटीआरआई	4131.70	119.51
3	नेसिड्स -सड़कें	1068.70	46.37
4	एनईसी की स्कीमें	1565.70	34.72

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, अन्य बातों के साथ-साथ असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से फॉलो-अप करता है ताकि उन्हें जारी की गई निधि का शीघ्रता से उपयोग हो सके।

(घ) सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 में प्रकाशित किए गए बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 2019-20 के अनुसार, असम की प्रति 1000 वर्ग किमी रोड नेटवर्क डेंसिटी 5741 किमी है, जो 1661 किमी के राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में इस राज्य में अपेक्षित रूप से सघन सड़क नेटवर्क दर्शाता है।

(ङ) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने हाल ही में परियोजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और निधि को जारी करने की प्रणाली को आसान बनाने के लिए कई सुधार किए हैं, जिनकी जानकारी नीचे दी गई है:

- (i) पीएम-डिवाइज़, एनईएसआईडीएस (ओटीआरआई), एनईएसआईडीएस (सड़क) स्कीमों के दिशा-निर्देशों को सरल बनाया गया है ताकि परियोजनाओं का संकल्पना नोट और मंजूरी में लगने वाले समय को कम करने के लिए परियोजना प्रस्तावों के संकल्पना नोट और डीपीआर पर एक ही बार में संयुक्त रूप से विचार किया जा सके।
- (ii) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की स्कीमों के बीच वित्तीय और क्षेत्रीय बंटवारा किया गया है ताकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की विविध स्कीमों में परियोजनाओं को मंजूरी देने में दोहराव को रोका जा सके।
- (iii) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों को 25% की चार समान किस्तों में निधि जारी करने की प्रणाली को आसान बना दिया है।
- (iv) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का पूर्वोत्तर विकास सेतु पोर्टल वर्ष 2024 में बनाया और शुरू किया गया है। इस पोर्टल ने राज्य सरकारों से मिले सभी प्रस्तावों की तेज़ी से प्रोसेसिंग और ट्रैकिंग के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय को संकल्पना नोट और डीपीआर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को डिजिटलीकृत कर दिया है।

उपर्युक्त सुधारों से परियोजनाओं को मंजूरी देने और उन्हें पूरा करने की गति बढ़ी है इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए रोज़गार के अवसरों में वृद्धि, क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास, पर्यटन उद्योग का विकास और इस क्षेत्र में औद्योगिक कार्यकलाप में वृद्धि जैसे ठोस लाभ प्राप्त हुए हैं, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों की पूरी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है।
